

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-21082024-256488
SG-DL-W-21082024-256488

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]	दिल्ली, अगस्त 9—अगस्त 15, 2024, बृहस्पतिवार/श्रावण 18—श्रावण 24, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 155
No. 12]	DELHI, AUGUST 9—AUGUST 15, 2024, THURSDAY/SHRAVANA 18—SHRAVANA 24, 1946	[N.C.T.D. No. 155

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
(स्थापना-1 शाखा)

अधिसूचना
दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

सं.: 75/ई-5/स्थापना.-II/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 1972 में इस न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक (तकनीकी) के पद को समूह 'बी' पद (अराजपत्रित) के रूप में पुनः वर्गीकृत करते हैं।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार,
जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (स्थापना-I)

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI**(Establishment-I Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 5th August, 2024

No. 75 /EI-5/Estt.-I/DHC.—In exercise of the powers vested under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Acting Chief Justice of this Court hereby re-classifies the post of Junior Judicial Assistant (Technical) in this Court, as Group 'B' post (Non-Gazetted) in Delhi High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 1972.

The above amendment shall come into force with immediate effect.

By Order,

JANARDAN TRIPATHI, Registrar (Estt.-I)